डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

बंशी पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी अययापुर (किरवाडा) तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. रघुवीर पुत्र लालजी
2. केदार पुत्र लालजी
3. मेधराम पुत्र लालजी
   समस्त जाति मीना निवासी अययापुर (किरवाडा) तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 66/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, ...–.......... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

निज.................–.....मुबलिंग...........–.............बाबत...........–.........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक....–....... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.01.2020 को जारी की गई।

दस्तखत................ उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 66 / 18

तारीख रजू:– 07.06.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

बंशी पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी अययापुर (किरवाडा) तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. रधुवीर पुत्र लालजी
2. केदार पुत्र लालजी
3. मेधराम पुत्र लालजी

   समस्त जाति मीना निवासी अययापुर (किरवाडा) तहसील टोडाभीम जिला करौली।

4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

निर्णय दिनांक:– 31.01.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 ग्राम अययापुर की वर्तमान जमाबन्दी मे लखन पुत्र रामजीलाल मीना के नाम खातेदारी दर्ज है। यह ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 साबिक ख0न0 575 रकवा 9 बिस्वा से बना है। जबकि मिलान क्षेत्रफल रकवा 0.11 है0 बनाया है। साबिक खसरा न0 575 रकवा 9 बिस्वा पूर्व मे रामजीलाल पुत्र सुखलाल के नाम दर्ज थी। जबकि रामजीलाल व सुखराम पिता पुत्र नही होकर भाई थें। उक्त आराजी का विरासत का नामांतकरण न0 253 दिनांक 17.3.1985 को बंशी पुत्र रामजीलाल के बजाय लखन पुत्र रामजीलाल के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि लखन के पिता रामजीलाल एवं लालजी दो भाई थे। एवं उनके पिता का नाम अर्जुन था इस प्रकार जो नामांतकरण लखन पुत्र रामजीलाल के नाम खोला गया है। वह अवनीसियो बोईड व प्रभावहीन वादी है। तथा ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है।

यह है कि उक्त आराजी रामजीलाल, सुखराम की थी सुखराम लाऔलाद फौत हो चुका है। रामजीलाल के एक मात्र पुत्र बंशी वादी है जो अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार करने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 ग्राम अययापुर मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे व रहन व्यय नही करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही आये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम अययापुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस सम्वत 2043 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–31 प्रदर्श–5, प्रस्तुत किये है।

वादी वकील की बहस सुनी गई वादी ने अपनी बहस मे वादी का दावा डिक्री करने का कथन किया बहस मे उभरकर आये तथ्यो के मध्येनजर तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक प्रतीत होने से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट, फर्द मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–75 मे ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 की खातेदारी लखन पुत्र रामजीलाल के नाम दर्ज है। नामांतकरण संख्या 85 दिनांक 15.04.1976 से सिवायचक भूमि ख0न0 575 रकवा 9 बिस्वा रामजीलाल पुत्र सुखलाल मीना के नाम रेगूलाईज की गई। नया नम्बर 940 रकवा 0.11 है0 बनाया गया है जिसमे से नवीन ख0न0 940/2253 रकवा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 सडक बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी का नामांतकरण संख्या 85 का रामजीलाल पुत्र सुखलाल से कोई संबध नही है, क्योकि साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 50 मे रामजीलाल, लालजी पि0 अर्जन एवं रामलाल, सुखलाल पि0 रामचन्दर दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 52 मे रामजीलाल पि0 सुखलाल एवं खाता संख्या 53 मे रामजीलाल, लालजी पुत्रगण सुखलाल जाति मीना सा.देह. दर्ज रिकार्ड है। जो यह दर्शाता है कि वादपत्र मे वर्णित किये गये दोनो सजरो के अलावा अन्य कोई व्यक्ति रामजीलाल पुत्र सुखलाल है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 50 मे अन्य खातेदारान के साथ रामलाल, सुखलाल पुत्र रामचन्द्र का अंकन है इससे स्पष्ट होता है कि रामजीलाल, रामचन्द्र का पुत्र नही है ना हि सुखराम का भाई है। तथा ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 किस्म चाही प्रथम पर वर्तमान मे वादी बंशी पुत्र रामजीला, वादी पुत्र रामजीलाल, एवं प्रतिवादी रधुवीर, केदार, मेधराम पि0 लालजी का कब्जा नही होकर सुरेश पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी अययापुर का कब्जा है।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

वादी वकील ने रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा रिपोर्ट के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये वादी का दावा डिक्री कर वादी बंशी पुत्र रामजीलाल को ग्राम अयायापुर की आराजी ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन एवं तहसीलदा टोडाभीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी की और से ऐसे कोई भी दस्तावेज पत्रावली मे शामिल नही किये है जो यह प्रमाणित करते हो कि रामजीलाल एवं सुखराम दोनो भाई है जो रामचन्द्र के पुत्र है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–31 प्रदर्श–5 के अनुसार राजकीय सिवायचक खाते मे दर्ज आराजी ख0न0 575 रकवा 9 बिस्वा किस्म बंजड प्रथम नामांतकरण संख्या 85 दिनांक 15.4.1976 से रामजीलाल पुत्र सुखराम के नाम रेगूलाईज हुई है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–4 मे भी ख0न0 575 की खातेदारी के रूप मे रामजीलाल पुत्र सुखपाल दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अययापुर की भूमि ख0न0 575 रकवा 09 बिस्वा रामजीलाल पुत्र सुखलाल जाति मीना के नाम रेगूलाईज हुई है तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3 के अनुसार

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

नया नम्बर 940 रकवा 0.11 है0 बना है। जिसमे से नवीन ख0न0 940/2253 रकवा 0.02 है0 मे सडक निर्माण हो चुकी है। रिपोर्ट मे यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 50 मे रामजीलाल, लालजी पि0 अर्जन एवं रामलाल, सुखलाल पि0 रामचन्दर दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 52 मे रामजीलाल पि0 सुखलाल एवं खाता संख्या 53 मे रामजीलाल, लालजी पुत्रगण सुखलाल जाति मीना सा.देह. दर्ज रिकार्ड है। जो यह दर्शाता है कि वादपत्र मे वर्णित किये गये दोनो सजरो के अलावा अन्य कोई व्यक्ति रामजीलाल पुत्र सुखलाल है। तथा ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 किस्म चाही प्रथम पर वर्तमान मे वादी बंशी पुत्र रामजीला, वादी पुत्र रामजीलाल, एवं प्रतिवादी रधुवीर, केदार, मेधराम पि0 लालजी का कब्जा नही होकर सुरेश पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी अययापुर का कब्जा है।

तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादपत्र मे वर्णित किये गये दोनो सजरो के अलावा अन्य कोई व्यक्ति रामजीलाल पुत्र सुखलाल है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 50 मे अन्य खातेदारान के साथ रामलाल, सुखलाल पुत्र रामचन्द्र का अंकन है इससे स्पष्ट होता है कि रामजीलाल, रामचन्द्र का पुत्र नही है, ना हि सुखराम का भाई है। तथा ख0न0 940 रकवा 0.09 है0 किस्म चाही प्रथम पर वर्तमान मे वादी बंशी पुत्र रामजीला, वादी पुत्र रामजीलाल, एवं प्रतिवादी रधुवीर, केदार, मेधराम पि0 लालजी का कब्जा नही होकर सुरेश पुत्र लल्लूराम जाति मीना निवासी अययापुर का कब्जा है। अतः तथ्यो के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाना उचित पाता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा खारिज किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम को निर्देश दिये जाते है कि आरजी ख0 न0 575 रकवा 0.09 है0 यदि लावारिस है तो इस सम्पति को राजगामी घोषित करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

31/1/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी / उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:22:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: